



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कुचेरा मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर नियोजन विभाग
राजस्थान, सरकार

आभार

कुचेरा नगर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में कुचेरा के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस नगर की विकास योजना में समर्पित किया है।

सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, जिला कलक्टर नागौर, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कुचेरा का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी एवं चिकित्सा आदि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने अपना सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी व्यक्तियों, संस्थाओं, अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने मास्टर प्लान बनाये जाने में सहयोग प्रदान किया है एवं आशा हैं कि भविष्य में शहर का विकास मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप करने में अपना सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगे।



(श्रीगोपाल चित्तौडिया)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर

विषय-सूची

अध्याय	क्रम संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
		आभार	
		विषय सूची	
		तालिका-सूची	
1		परिचय	1
2		विद्यमान विशेषताएं	3
	2.1	भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु	3
	2.2	क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	3
	2.3	ऐतिहासिक	4
	2.4	जनांकिकी	4
	2.5	व्यावसायिक संरचना	5
	2.6	विद्यमान भू-उपयोग	6
	2.6.1	आवासीय	8
	2.6.1(अ)	आवासन	8
	2.6.1(ब)	कच्ची बस्तियां	8
	2.6.2	वाणिज्यिक	9
	2.6.3	औद्योगिक	9
	2.6.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	10
	2.6.5	आमोद-प्रमोद	10
	2.6.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	11
	2.6.6(अ)	शैक्षणिक सुविधाएं	11
	2.6.6(ब)	चिकित्सा सुविधाएं	12
	2.6.6(स)	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	12

	2.6.6(द)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	13
	2.6.6(य)	जनोपयोगी सुविधाएं	13
	2.6.6(य)(i)	जलापूर्ति	13
	2.6.6(य)(ii)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन	14
	2.6.6(य)(iii)	विद्युत आपूर्ति	14
	2.6.6(य)(iv)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	14
	2.6.7	परिसंचरण	15
	2.6.7(अ)	यातायात व्यवस्था	15
	2.6.7(ब)	बस तथा ट्रक टर्मिनल	16
3		नियोजन की संकल्पना	17
	3.1	नियोजन की नीतियां	18
	3.2	नियोजन के सिद्धान्त	18
4		भावी आकार	21
	4.1	जनांकिकी	21
	4.2	व्यावसायिक संरचना	22
	4.3	नगरीय क्षेत्र	23
	4.4	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	24
	4.5	योजना क्षेत्र	24
	4.5.1	कोर योजना क्षेत्र	25
	4.5.2	पश्चिम योजना क्षेत्र	25
	4.5.3	कृषि उपज मण्डी योजना क्षेत्र	26
	4.5.4	परिधि नियंत्रण पट्टी	26
5		भू-उपयोग योजना	27
	5.1	आवासीय	28

	5.1.1	आवासन	29
	5.1.2	अनौपचारिक सैक्टर के लिए आवास	29
	5.1.3	कच्ची बस्तियां	29
	5.2	वाणिज्यिक	30
	5.2.1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	30
	5.2.2	भण्डारण एवं गोदाम	31
	5.2.3	वाणिज्यिक केन्द्र	31
	5.3	औद्योगिक	31
	5.4	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय	32
	5.5	आमोद-प्रमोद	32
	5.5.1	उद्यान एवं खुले स्थल	32
	5.5.2	खेल मैदान	32
	5.5.3	अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन	33
	5.5.4	मेले एवं पर्यटन सुविधाएं	33
	5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	33
	5.6.1	शैक्षणिक सुविधाएं	34
	5.6.2	चिकित्सा सुविधाएं	35
	5.6.3	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल	35
	5.6.4	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	35
	5.6.5	जनोपयोगी सुविधाएं	35
	5.6.5(अ)	जलापूर्ति	35
	5.6.5(ब)	जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	36
	5.6.5(स)	विद्युत आपूर्ति	36
	5.6.5(द)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	37

	5.7	परिसंचरण	37
	5.7.1	प्रस्तावित यातायात संरचना	37
	5.7.1(अ)	सड़कों का मार्गाधिकार	37
	5.7.1(ब)	सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार	39
	5.7.1(स)	पार्किंग स्थलों का विकास	39
	5.7.1(द)	चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण	39
	5.7.2	बस अड्डा तथा यातायात नगर	39
	5.7.2(अ)	बस अड्डा	39
	5.7.2(ब)	यातायात नगर	39
	5.8	जलाशय, वन भूमि एवं अंगोर भूमि	40
	5.9	परिधि नियंत्रण पट्टी	40
	5.10	ग्रामीण आबादी क्षेत्र	41
6		योजना का क्रियान्वयन	42
	6.1	वर्तमान आधार	42
	6.2	प्रस्तावित आधार	42
	6.3	जन सहयोग एवं जन सहभागिता	43
	6.4	भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	43
	6.5	योजना का क्रियान्वयन	44
	6.6	उपसंहार	44
परिशिष्ट:—			
1	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम – 1959 (मास्टर प्लान)		45
2	राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम – 1962 के उद्धरण		47
3	नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 20.07.2010		49
4	राज्य सरकार से अनुमोदन की अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2012		50

तालिका-सूची

क्रम संख्या	तालिका का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, कुचेरा – 1981-2011	5
2	श्रमिक वर्गीकरण, कुचेरा 1991-2001	5
3	व्यावसायिक संरचना, कुचेरा 1991-2010	6
4	विद्यमान भू-उपयोग, कुचेरा-2010	7
5	कुचेरा नगर की कच्ची बस्तियों की सूची (चिन्हित वर्ष 2004)	9
6	सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, कुचेरा – 2010	10
7	शैक्षणिक संरचना, कुचेरा – 2010	11
8	चिकित्सा सुविधाएं, कुचेरा – 2010	12
9	जलापूर्ति, कुचेरा – 2010	13
10	विद्युत आपूर्ति, कुचेरा-2010	14
11	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, कुचेरा-1981-2031	22
12	व्यावसायिक संरचना, कुचेरा-2001-2031	23
13	योजना क्षेत्र, कुचेरा-2031	24
14	प्रस्तावित भू-उपयोग, कुचेरा-2031	28
15	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, कुचेरा-2031	30
16	अनुमानित शैक्षणिक संरचना, कुचेरा-2031	34
17	विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई, कुचेरा-2031	38
18	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, कुचेरा-2031	38

1.

परिचय

कुचेरा राष्ट्रीय राजमार्ग 89, राज्य राजमार्ग 63 एवं प्रमुख जिला मार्ग 37 बी पर स्थित नागौर जिले का एक महत्वपूर्ण नगर है। यह जिला मुख्यालय नागौर से 40 कि.मी. एवं सम्भागीय मुख्यालय अजमेर से 114 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह नगर मध्य राजस्थान में 26°59' उत्तरी अक्षांश एवं 73°58' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 301 मीटर है। कुचेरा का सबसे समीपस्थ रेलवे स्टेशन मारवाड़-मूण्डवा रेलवे स्टेशन है, जिसकी कुचेरा से दूरी लगभग 20 कि.मी. है। कुचेरा का सबसे समीपस्थ हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है जो कि कुचेरा से लगभग 123 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। यह नगर मिर्धाओं की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह किसान नेता श्री बलदेवराम मिर्धा की जन्मस्थली है जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया था। यहाँ पर नगरपालिका का गठन 1976 में हुआ था।

यहाँ पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील कार्यालय नहीं है। जिले की कुल दस नगरपालिकाओं में कुचेरा "डी" श्रेणी की नगरपालिका है। वर्ष 2001 में यहाँ की जनसंख्या 19,521 थी। जनगणना आधार पर यह चतुर्थ श्रेणी का नगर है। कुचेरा नगर का मौसम गर्मियों में गर्म व शुष्क तथा सर्दियों में सर्द एवं शुष्क रहता है। नगर का गर्मियों में अधिकतम तापमान 44.5° सैन्टीग्रेट तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 0.90° सैन्टीग्रेड दर्ज किया गया है।

यह नागौर जिले के अन्य नगर यथा मूण्डवा, डीडवाना, परबतसर, मेड़ता, डेगाना, जायल, लाडनू इत्यादि से सड़क मार्ग द्वारा भलीभाँति जुड़ा हुआ है। यह राष्ट्र की राजधानी दिल्ली से 437 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहाँ की मुख्य फसलें बाजरा, गेहूँ, सरसों, ज्वार, मूंग, मोठ, तिलहन इत्यादि हैं। यहाँ की नागौरी मैथी देश भर में विख्यात है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वर्ष 1976 से नगर पालिका द्वारा कुचेरा नगर का विकास किया जा रहा है। यहाँ वर्तमान में राजकीय चिकित्सालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूर संचार, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत विभाग एवं कृषि मण्डी के कार्यालय स्थित हैं। कुचेरा नगर का विकास सुनियोजित रूप से नहीं होने के कारण यहाँ की सड़कों की चौड़ाई कम तथा सड़कों की स्थिति असन्तोषप्रद है, जिसके कारण आये दिन यातायात में बाधा आती रहती है। कुचेरा नगर में बस स्टैण्ड की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने से यातायात अवरोधकता के कारण दुर्घटना होने की सदैव आशंका बनी रहती है।

पीने के पानी में टीडीएस व नाइट्रेट की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक होने के कारण पेयजल की समस्या गम्भीर है। वर्तमान में यहां पेयजल की पूर्ति 8 नलकूपों से की जा रही है।

कुचेरा नगर के विकास के साथ-साथ यहाँ विभिन्न नगरीय समस्याओं में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में नगरपालिका के द्वारा कचरा निस्तारण, जल व मल निकास (सीवरेज), अग्निशमन सेवाएं इत्यादि उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

उक्त संदर्भ में ही नगर नियोजन विभाग द्वारा शहर की भावी योजना बनाने के उद्देश्य से कुचेरा नगर का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(109) न.वि.वि./3/2010 जयपुर, दिनांक 16 जुलाई 2010 को एक अधिसूचना जारी कर कुचेरा राजस्व ग्राम सहित 4 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुचेरा नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अधिकृत किया गया। उक्त निर्देशों की पालना में कुचेरा नगर का मास्टर प्लान का यह प्रारूप तैयार किया गया है। यह मास्टर प्लान आगामी 20 वर्ष के लिए नगरीय क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों की आवश्यकताओं को दिशा निर्देश देता है।

कस्बे का मास्टर प्लान उसके भावी विकास को निर्देशन एवं वर्तमान समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से है तथा किया जाता है ताकि वहां के नागरिकों को स्वस्थ एवं सुखद जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि वहां के नागरिकों को इसे समझने एवं स्वतंत्र विचारों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलें। इसी बिन्दू को दृष्टिगत रखते हुए नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु इस शहर का मास्टर प्लान प्रारूप प्रकाशित किया गया ताकि इस शहर के नागरिक स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त कर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। प्रारूप मास्टर प्लान में दिये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभ प्रकार की आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया।

कुचेरा मास्टर प्लान के प्रारूप पर 108 आपत्ति/सुझाव पत्र प्राप्त हुए। जिनके अन्तर्गत कुल 82 बिन्दुओं पर आपत्ति/सुझाव दर्ज किये गये। सभी आपत्ति/सुझावों का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण कर जांच के उपरान्त 42 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 00 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 28 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य तथा 12 आपत्ति/सुझाव में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार कुचेरा प्लान के नगरीय क्षेत्र मानचित्र तथा भू-उपयोग मानचित्र-2031 में स्वीकृत, आंशिक स्वीकृत आपत्ति/सुझाव के मद्देनजर वांछित परिवर्तन करते हुए मास्टर प्लान अन्तिम रूप से तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रदत्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित है।



(श्रीगोपाल चित्तौडिया)
वरिष्ठ नगर नियोजक
अजमेर जोन, अजमेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम-1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(123) नविआ/3/2010 जयपुर, दिनांक 01 अक्टूबर, 2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है (परिशिष्ट-4)

2.

विद्यमान विशेषताएं

यह आवश्यक है कि भविष्य में नगर के सुनियोजित विकास हेतु नीति निर्धारण करने एवं प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व नगर का भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु, क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य, इतिहास, जनांकिकी, व्यावसायिक संरचना, विद्यमान भू-उपयोग एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का अध्ययन किया जाए।

2.1 भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु

कुचेरा 26°59' उत्तरी अक्षांश एवं 73°58' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी लगभग 260 कि.मी. एवं सम्भागीय मुख्यालय अजमेर से इसकी दूरी 114 कि.मी. है। इस नगर की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग 301 मीटर है।

यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क एवं तापमान में असमानता रहती है। यहाँ का तापमान मार्च से जून तक तीव्रता से बढ़ता है एवं इस समय गर्मियों का मौसम रहता है। यहाँ मध्य नवम्बर से फरवरी के शुरुआत तक सर्दियों का मौसम रहता है। कुचेरा नगर का गर्मियों में तापमान लगभग 22° से 45° सेंटीग्रेट के मध्य तथा सर्दियों में 2° से 29° सेन्टीग्रेट के मध्य रहता है। यहाँ गर्मियों में अधिकतम औसत तापमान 44.5° सेंटीग्रेट तथा सर्दियों में न्यूनतम तापमान 0.90° सेंटीग्रेट दर्ज किया गया है। सामान्यतया यहाँ गर्मियों में रेतीले तूफान आते हैं। यहाँ की वर्षा में भी असमानता रहती है। यहाँ वर्षा मुख्यतः जुलाई से मध्य सितम्बर तक होती है। इस नगर की औसत वार्षिक वर्षा 357.40 मि.मी. है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य

कुचेरा नगर में वर्तमान में रेलवे स्टेशन नहीं है। कुचेरा के सबसे समीपस्थ रेलवे स्टेशन में मारवाड़-मूण्डवा रेलवे स्टेशन है, जो कि बड़ी रेलवे लाईन पर स्थित है, जिसकी कुचेरा से दूरी लगभग 20 कि.मी. है। कुचेरा के सबसे समीपस्थ हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है जो कि कुचेरा से लगभग 123 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर नगरपालिका का गठन 1976 में हुआ। कुचेरा नगरपालिका सीमा लगभग 12 वर्ग कि.मी. में फैली हुई है।

कुचेरा समतल मैदानी भाग में स्थित है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में भरमंडी तालाब, दक्षिणी पश्चिमी भाग में कोटेलाव तालाब, रामसर तालाब, उत्तर दिशा में निम्बोला तालाब एवं दक्षिण दिशा में संसारा नाडा तालाब स्थित है। नगर का सामान्य ढाल नगर के मध्य से बाहर की चारों दिशाओं में एक समान है। नगर के उत्तर एवं दक्षिण में निम्बोला एवं संसारा नाडा तालाब हैं। जिनका पानी पीने योग्य है।

कुचेरा में वार्ड नं. 16 में कृषि मण्डी स्थित है। नगर में लगभग 19 मन्दिर एवं मस्जिदें हैं जिनमें दर्शनार्थी निरंतर आते रहते हैं। नगरपालिका के समीप श्रीमती गोगी देवी बाल उद्यान स्थित है जो कि नगर के नागरिकों के आमोद-प्रमोद का एकमात्र स्थान है।

कुचेरा में किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाईयां नहीं हैं। व्यापारिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से यह मुख्य रूप से खेतीहर मजदूरों का इलाका है। यहाँ की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है, जनसामान्य खेती करके ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ मुख्यतः बाजरा, गेहूँ, सरसों, मूँग, मोठ, ज्वार, तिलहन इत्यादि फसलें बोई जाती हैं। यहाँ पर भूमिगत जल दोहन के माध्यम नलकूप, ट्यबवैल आदि सिंचाई के उपयोग में आते हैं।

2.3 ऐतिहासिक

कुचेरा नगर का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। यह मिर्धाओं की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह नगर यहाँ के किसान नेता श्री बलदेवराम मिर्धा की जन्मस्थली है जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया था। यहाँ पर नगरपालिका का गठन 1976 में हुआ था। इस नगर में मुख्यतः जैन एवं जाट समुदाय की अधिकता है। नगर के मध्य में बंशीवाला मन्दिर तथा नगर में जैन दादावाड़ी व प्रसिद्ध भैरुजी का मन्दिर भी स्थित है। कुचेरा में पौराणिक महत्त्व की कोई भी इमारत नहीं है। इसके दक्षिणी पूर्वी भाग में भरमंडी तालाब, दक्षिणी पश्चिमी भाग में कोटेलाव तालाब, रामसर तालाब, उत्तर दिशा में निम्बोला तालाब एवं दक्षिण दिशा में संसारा नाडा तालाब स्थित है। निम्बोला तालाब को मुख्य रूप से पेयजल आपूर्ति हेतु काम में लिया जाता है।

2.4 जनांकिकी

कुचेरा नगर में वर्ष 1981 में जनसंख्या मात्र 11352 थी जो 1991 में बढ़कर 14479 हो गई। इस दशक में वृद्धि दर 27.55 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में नगर की जनसंख्या 19521 दर्ज की गई इस प्रकार वर्ष 1991-2001 दशक में वृद्धि दर 34.82 प्रतिशत रही है। आधार वर्ष में उक्त नगर की जनसंख्या 25000 होने का आंकलन किया गया है। यहाँ कुल परिवारों की संख्या 3,073 है तथा औसतन परिवार का आकार 6.35 है। 2010 के भू-उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार नगर का नगरीयकृत क्षेत्रफल 375.16 हैक्टेयर है तथा यहाँ का जनसंख्या घनत्व 67 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है। 1981 से 2010 तक की दशकीय जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1:

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, कुचेरा – 1981–2010

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर
1981	11352	—	—
1991	14479	3127	27.55
2001	19521	5042	34.82
2010 *	25000	5479	28.07

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान*

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार नगर में लिंगानुपात 924 था। यह अनुपात जिला मुख्यालय नागौर (947) एवं राष्ट्रीय स्तर (933) से कम है तथा राज्य स्तर पर लिंगानुपात (921) से अधिक है।

2.5 व्यावसायिक संरचना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुचेरा नगर में कार्यरत व्यक्तियों की सहभागिता का अनुपात कुल जनसंख्या का 42.24 प्रतिशत था। इस नगर में कुल कार्यशील जनसंख्या में से 35.91 प्रतिशत मुख्य श्रमिक एवं 6.33 प्रतिशत सीमान्त श्रमिकों के श्रेणी में दर्ज है। तालिका संख्या 2 दर्शाती है कि वर्ष 1991 में 61.70% गैर श्रमिक कार्यरत थे जो कि वर्ष 2001 में कम होकर 57.76% रह गये। इससे यह प्रमाणित होता है कि कुचेरा नगर में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है।

तालिका 2:

श्रमिक वर्गीकरण, कुचेरा 1991–2001

श्रमिक	श्रमिकों की संख्या		प्रतिशत	
	1991	2001	1991	2001
मुख्य श्रमिक	5272	7010	36.41	35.91
सीमान्त श्रमिक	273	1236	1.89	6.33
गैर श्रमिक	8934	11275	61.70	57.76
योग	14479	19521	100	100

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार

कुचेरा की 2001 की जनगणना के आधार पर व्यावसायिक संरचना के वर्गीकरण में 50.61% काश्तकार, 30.69% अन्य श्रमिक तथा 10.78% खेतीहर मजदूर थे, शेष 7.92% घरेलू उद्योगों में कार्यरत थे। इससे स्पष्ट होता है कि व्यावसायिक

संरचना की दृष्टि से कुचेरा की वर्ष 2001 की कार्यशील जनसंख्या मुख्यतः कृषि क्षेत्र में ही कार्यरत थी। कुचेरा नगर में वर्ष 2001 में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 42.24% था जो वर्ष 2010 में 39.25% आंकलित किया गया। वर्ष 2010 में व्यावसायिक संरचना के वर्गीकरण में 39.65% काश्तकार, 32.63% अन्य श्रमिक तथा 12.57% खेतीहर मजदूर हैं शेष 15.15% घरेलू उद्योग में कार्यरत होने का आंकलन किया गया है। वर्ष 2010 की व्यावसायिक संरचना के अनुसार कुचेरा नगर की जनसंख्या कृषि से वाणिज्य व अन्य सेवाओं की ओर अग्रसर हो रही है। वर्ष 1991 से 2010 तक की कार्यशील जनसंख्या को तालिका-3 दर्शाती है।

तालिका 3 :

व्यावसायिक संरचना, कुचेरा 1991-2010

क्र. सं.	व्यवसाय	1991		2001		2010 *	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत
1	काश्तकार, वानिकी इत्यादि	3645	65.74	4173	50.61	3890	39.65
2	कृषि मजदूर	307	5.54	889	10.78	1233	12.57
3	घरेलू उद्योग श्रमिक	309	5.57	653	7.92	1487	15.15
4	अन्य श्रमिक	1284	23.15	2531	30.69	3202	32.63
कुल		5545	100	8246	100.00	9812	100.00
सहभागिता अनुपात		38.30%		42.24%		39.25%	
जनसंख्या		14479		19521		25000	

स्रोत: जनगणना भारत सरकार, एवं आंकलन*

2.6 विद्यमान भू – उपयोग

कुचेरा नगरपालिका का कुल क्षेत्रफल 1200 हैक्टेयर है जिसमें से कुल 375.16 हैक्टेयर, अर्थात् 31.26% क्षेत्र नगरीयकृत क्षेत्र है। इसमें से 146.27 हैक्टेयर विकसित क्षेत्र है तथा शेष क्षेत्र कृषि, रिक्त, जलाशय आदि के अन्तर्गत आते हैं। कुल विकसित क्षेत्र का 74.78 हैक्टेयर (51.12 प्रतिशत) भूमि आवासीय उपयोग में आ रही है। वाणिज्यिक गतिविधियों में 10.08 हैक्टेयर भूमि है, जो कि विकसित क्षेत्र का 6.89

प्रतिशत है। यह क्षेत्र मुख्यतः वार्ड 3, व 14 में स्थित है। औद्योगिक प्रयोजन के अन्तर्गत 0.01 हैक्टेयर भूमि है जिसमें मुख्य रूप से ट्राली निर्माण की इकाइयां कार्यरत हैं। कुचेरा में मध्यम अथवा वृहद् स्तर की औद्योगिक इकाइयां नहीं हैं। राजकीय उपयोग के अन्तर्गत 10.47 हैक्टेयर भूमि हैं। यहाँ पर आमोद-प्रमोद के साधनों की भी कमी है तथा मात्र 0.06 प्रतिशत भूमि ही उद्यान, खेल-मैदान के रूप में उपलब्ध है। परिसंचरण के अन्तर्गत 34.59 हैक्टेयर भूमि है। यहाँ पर स्कूल स्तर के शैक्षणिक संस्थानों एवं मन्दिरों की अधिकता है। सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत 16.25 हैक्टेयर भूमि (11.11 प्रतिशत) है। विद्यमान भू-उपयोग 2010 का विवरण तालिका-4 में दर्शाया गया है।

तालिका 4:

विद्यमान भू-उपयोग, कुचेरा-2010

क्र.सं.	भू - उपयोग	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	74.78	51.12	19.93
2	वाणिज्यिक	10.08	6.89	2.69
3	औद्योगिक	0.01	0.00	0.00
4	राजकीय	10.47	7.16	2.79
5	आमोद-प्रमोद	0.09	0.06	0.02
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	16.25	11.11	4.33
7	परिसंचरण	34.59	23.66	9.22
	कुल विकसित क्षेत्र	146.27	100.00	38.98
8	कृषि	129.00	—	34.39
9	रिक्त	95.28	—	25.40
10	जलाशय	4.61	—	1.23
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	375.16	—	100.00

स्रोत: सर्वेक्षण

2.6.1. आवासीय

2.6.1. (अ) आवासन

कुचेरा को 20 वार्डों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर लगभग 3872 मकान हैं। नगर में अधिकतम घनत्व वाला वार्ड संख्या 10 है जिसमें माताजी मन्दिर, जैन औषधालय आदि स्थित हैं, वार्ड संख्या 9 एवं 13 में घनत्व लगभग 100 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है शेष अन्य वार्ड यथा वार्ड संख्या 1 से 8, 11, 12 एवं 14 से 20 में घनत्व 50 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से कम है। इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश भूमि रिक्त पड़ी है। ये वार्ड कस्बे के पुराने बसे हुए क्षेत्र के भाग हैं। वार्ड संख्या 2 में पशु चिकित्सालय, ग्रिड सब स्टेशन, वार्ड संख्या 3 में पुलिस थाना, वार्ड संख्या 5 में पेट्रोल पम्प, एवं वार्ड संख्या 16 में कृषि मण्डी, वार्ड संख्या 11 में बडा बाजार व वार्ड संख्या 8 में नगरपालिका एवं वार्ड 11 व 13 में छोटा बाजार आदि स्थित हैं। नगर के बाहरी क्षेत्रों में नई कॉलोनियों का विकास हो रहा है। इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं तथा आबादी घनत्व भी नगण्य के बराबर है।

कुचेरा नगर में आवासीय क्षेत्रों की बनावट एवं बसावट में काफी भिन्नता है। पुराना नगर बहुत घना बसा हुआ है तथा सड़कें घुमावदार एवं कम चौड़ी हैं। कहीं-कहीं तो इनकी चौड़ाई 3 से 5 मीटर ही है। कुचेरा के दक्षिण दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न राजकीय कार्यालय एवं व्यावसायिक गतिविधियां व खुली बसावट होने के कारण नई विकसित हो रही कॉलोनियों में सड़कें अपेक्षाकृत चौड़ी हैं। इनकी चौड़ाई 6 से 10 मीटर तक है। नगर में सीवरेज सुविधा उपलब्ध नहीं है। जल व मल निकास हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र में नालियों एवं नालों की स्थिति भी ठीक नहीं है। कुचेरा का अधिकतम विकसित क्षेत्र गैर मुमकिन आगौर भूमि पर बसा हुआ है।

2.6.2. (ब) कच्ची बस्तियां

कुचेरा नगर के दक्षिणी-पूर्वी एवं पूर्वी भाग में क्रमशः कोटेलाव तालाब, भरमंडी तालाब व रामसर तालाब के समीप कुल 4 कच्ची बस्तियां हैं जिनमें लगभग 2511 व्यक्ति निवास कर रहे हैं। इन कच्ची बस्तियों में पक्की सड़क, नाली, सीवरेज व रोशनी की व्यवस्था नहीं है। चारों कच्ची बस्तियां कुचेरा नगर की गैर मुमकिन आगौर भूमि पर बसी हुई हैं। नगरपालिका द्वारा समय-समय पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कच्ची बस्तियों में विकास कार्य किये जाते हैं। जिनमें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का कार्य प्रमुख है परन्तु अभी अधिकांश बस्तियों में इन सुविधाओं का अभाव है कच्ची बस्तियों का विवरण तालिका-5 में दर्शाया गया है।

तालिका 5:

कुचेरा नगर की कच्ची बस्तियों की सूची (चिन्हित वर्ष 2004)

क्रम संख्या	कच्ची बस्ती का नाम	वार्ड संख्या
1	भाटीपुरा बस्ती	3, 4, 5
2	बरमड़ी बस्ती	15, 16
3	ईदगाह कॉलोनी	3
4	शिवनगर	3

स्रोत: नगरपालिका, कुचेरा

2.6.3. वाणिज्यिक

कुचेरा नगर में दो खुदरा बाजार हैं, जो कि बड़ा बाजार एवं छोटा बाजार के नाम से प्रसिद्ध है एवं ये लगभग 500 मीटर लम्बाई में फैले हुए हैं। इन बाजारों में सड़कों की चौड़ाई 3 से 3.4 मीटर तक है। यहाँ एक इफको किसान सेवा केन्द्र का गोदाम है, जो कि अस्थायी बस स्टैण्ड के पास 0.013 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है।

यहाँ एक कृषि उपज मण्डी तथा एक सब्जी मण्डी है जो कि क्रमशः 1.5 हैक्टेयर तथा 0.005 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैली हुई है। कृषि मण्डी वार्ड नं. 16 तथा सब्जी मण्डी वार्ड नं. 14 में स्थित है। इन व्यावसायिक क्षेत्रों में कृषि मण्डी के अलावा कहीं भी कोई पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर वार्ड नं. 6 हॉस्पिटल रोड पर एवं वार्ड नं. 3 में शिव नगर में 2 आईस फैक्ट्री संचालित हैं।

कुचेरा नगर में किसी भी प्रकार के पुरातत्व स्मारक नहीं होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों की संख्या नगण्य है। इस नगर में होटल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर तीन पेट्रोल पम्प है, जिसमें पहला अजमेर-खजवाना जंक्शन के समीप, दूसरा रामसर तालाब के पूर्व की ओर तथा तीसरा नागौर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर दक्षिण से उत्तर की तरफ विकसित हुआ है।

2.6.4. औद्योगिक

कुचेरा में किसी भी प्रकार की प्रमुख औद्योगिक इकाईयां नहीं है। यह नगर मुख्य रूप से खेतीहर मजदूरों का इलाका है। यहाँ की अधिकतम जनसंख्या खेती पर ही आश्रित है। जन सामान्य खेती करके ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ मुख्यतः बाजरा, गेहूँ, सरसों, ज्वार, मूँग, मोठ, तिलहन व सब्जियों की खेती की जाती है। यहाँ की नागौरी मेथी देशभर में विख्यात है। यहाँ पर कृषि कार्य हेतु भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। उद्योग के नाम पर यहाँ बाजार रोड पर एक मात्र कृषि यन्त्र नामक लघु उद्योग है जो 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में स्थित है एवं इसमें कर्मचारियों की संख्या 10 है। इसी प्रकार छोटा एवं बड़े बाजार में लघु

स्तर पर दो आईस फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2010 के विद्यमान भू-उपयोग में औद्योगिक क्षेत्र 0.01 हैक्टेयर है।

कुचेरा के सबसे समीपस्थ 6.3 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में निम्बड़ी गांव में बिनानी औद्योगिक ग्रुप के द्वारा 120 मेगावॉट पिटहेड केपटिव पॉवर प्लान्ट लगभग 23 हैक्टेयर भूमि में 480 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया है।

2.6.4. सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय

यहाँ कुल कार्यालयों में से 2 कार्यालय केन्द्रीय सरकार (कुल क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर) के हैं जिनमें एक डाकघर है जो सामुदायिक भवन के पास स्थित है तथा एक बी.एस.एन.एल. का कार्यालय है जो मूण्डवा रोड़ पर स्थित है। इनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 4 एवं 2 है।

नगर में 2 राज्य सरकार के कार्यालय हैं जिनके अन्तर्गत जलदाय विभाग, तथा पुलिस थाना है जिनमें कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 15, व 18 है। यहाँ वार्ड नं. 4 में बस स्टैण्ड रोड़ पर एक अर्द्धराजकीय कार्यालय इफको किसान सेवा केन्द्र स्थित है। इसका क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर है तथा यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2 है।

यहाँ अर्द्धसरकारी कार्यालयों के अन्तर्गत नगरपालिका, विद्युत वितरण का कार्यालय तथा इफको किसान सेवा केन्द्र स्थित है। अन्य कार्यालयों में यहाँ 2 बैंक सेवारत है। तालिका 6 में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों का विवरण दिया गया है।

तालिका 6:

सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय, कुचेरा-2010

क्र.सं.	कार्यालय का प्रकार	कार्यालयों की संख्या
1	केन्द्र सरकार	2
2	राज्य सरकार	2
3	अर्द्ध-राजकीय	3
4	अन्य कार्यालय	2
	योग	9

स्त्रोत: सर्वेक्षण

2.6.5. आमोद-प्रमोद

वर्तमान में कुचेरा में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत केवल 0.09 हैक्टेयर भूमि विकसित है जो कुल विकसित क्षेत्र का 0.06 प्रतिशत है। इस उपयोग के लिए कम भूमि का होना यहाँ पर इस सुविधा की कमी का होना दर्शाता है। कुचेरा नगर में नगरपालिका कार्यालय के पास श्रीमती गोगादेवी बाल उद्यान है जिसकी देखभाल नगरपालिका करती है। यह उद्यान नगर के नागरिकों, बच्चों, महिलाओं के आमोद

प्रमोद का एक मात्र स्थान है। यहाँ पर नगर स्तरीय पार्क का अभाव है। कुचेरा नगर में कोई स्टेडियम नहीं है तथा यहाँ 2 खेल के मैदान हैं जो कि विद्यालय परिसर में ही स्थित हैं। जिनमें से एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा दूसरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थित है। दोनों ही खेल मैदान वार्ड नं. 3 में मेडता सिटी रोड पर स्थित हैं तथा इनका क्षेत्रफल 2.5 हैक्टेयर है। कुचेरा में मनोरंजन हेतु कोई क्लब या संस्था नहीं है। नगर में वर्तमान में अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन हेतु कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर करन्ट बालाजी मंदिर द्वारा करन्ट बालाजी सेवा समिति (स्वयं सेवी संस्था) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा नगर में धार्मिक, योगिक एवं नागरिक जागरूकता हेतु समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। समिति का कार्यालय मन्दिर परिसर में स्थित है, इस परिसर में एक धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस का संचालन किया जाता है।

कुचेरा नगर में प्रतिवर्ष भाद्रप्रद में शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हनुमान जयन्ती पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रप्रद माह में शुक्ल पक्ष की तेरस को भैरुजी का मेला आयोजित किया जाता है। लोगों में धार्मिक, सामाजिक एवं आपसी सहयोग की भावनाएं जाग्रत करने के लिए इन मेलों का काफी महत्व है।

कुचेरा नगर में काबरा (माहेश्वरी) समुदाय की कुलदेवी सुसमाद माता का मन्दिर इस कस्बे में स्थित है यहाँ बसंत पंचमी पर हर वर्ष मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ एक बड़े परिसर में एक साथ विशाल स्तर पर पूजा की जाती है। यहाँ एक और मेला दीपावली से पहले नवरात्री के दौरान आयोजित किया जाता है।

2.6.6. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 16.25 हैक्टेयर भूमि आती है जो कुल विकसित क्षेत्र का 11.11 प्रतिशत है। इस उपयोग के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं सम्मिलित हैं।

2.6.6. (अ) शैक्षणिक सुविधाएं

कुचेरा नगर के विकास के साथ यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। वर्ष 2010 की शैक्षणिक संरचना को तालिका 7 में दर्शाया गया है।

तालिका 7:

शैक्षणिक संरचना, कुचेरा – 2010

क्र. सं.	विद्यालयों के प्रकार	आयु	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की औसत संख्या
1	प्राथमिक	5-10	3296	7	471
2	उच्च प्राथमिक	11-13	3812	11	347
3	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक	14-17	1402	7	200
	योग		8510	25	340

स्रोत: शिक्षा विभाग, कुचेरा

उपरोक्त सारणी के अनुसार कुचेरा में 7 प्राथमिक, 11 उच्च प्राथमिक, एवं 7 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की कुल संख्या 3296 है एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 3812 है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की संख्या 1402 है। कुचेरा नगर में सरकारी विद्यालयों की संख्या 9 एवं प्राइवेट विद्यालयों की संख्या 16 है। कुचेरा नगर में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है यहाँ कोई महाविद्यालय तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है।

2.6.6. (ब) चिकित्सा सुविधाएं

कुचेरा नगर में वार्ड न. 6 में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। इसमें 30 शय्यां हैं जिसका अनुपात लगभग 2 शय्या प्रति हजार व्यक्ति है, यह अस्पताल लगभग 1 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर वार्ड न. 3 में एक राजकीय पशु चिकित्सालय है जो लगभग 2 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित है एवं यहाँ पर वार्ड नं. 10 में एक होम्योपैथिक चिकित्सालय भी स्थित है। कुचेरा नगर की चिकित्सा सुविधाएं को तालिका 8 में दर्शाया गया है।

तालिका 8:

चिकित्सा सुविधाएं, कुचेरा – 2010

क्रम संख्या	चिकित्सा सुविधाएं	संख्या	उपलब्ध शय्या
1	राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	30
2	होम्योपैथिक चिकित्सालय	1	—
3	राजकीय पशु चिकित्सालय	1	—
योग		3	30

स्रोत: चिकित्सा विभाग, कुचेरा

2.6.6. (स) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

कुचेरा नगर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां काफी कम है। यहाँ वर्ष में एक बार हनुमान जयन्ती के शुभ अवसर पर भाद्रप्रद माह में तथा भैरुजी का मेला तेरस शुक्ल पक्ष में आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समुदायों के धार्मिक त्यौहार नगर में हर्षोल्लास से मनाये जाते हैं।

कुचेरा नगर में बंशीवाला मन्दिर व एक जैन दादाबाड़ी है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध भैरुजी का मन्दिर है। इसके दक्षिणी-पूर्वी भाग में भरमण्डी तालाब, दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कोटेलाव तालाब, रामसर तालाब, उत्तर दिशा में निम्बोला तालाब एवं दक्षिण

दिशा में संसारा नाडा तालाब स्थित है। निम्बोला तालाब मुख्य रूप से पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। इस नगर के निकट काफी धर्मस्थलियां बनी हुई हैं। किसान केसरी बलदेवराम मिर्धा की समाधि भी यहीं पर बनी हुई है।

कुचेरा नगर में हिन्दुओं के अनेक धार्मिक स्थल है। यहाँ पर 19 मन्दिर एवं 5 मस्जिदें हैं, जिनमें गणेश मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, हनुमान मन्दिर, शिव मन्दिर, शनि मन्दिर इत्यादि प्रमुख हैं। नगर में समस्त धार्मिक स्थलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 0.65 हैक्टेयर है।

2.6.6. (द) अन्य सामुदायिक सुविधाएं

कुचेरा नगर में वार्ड न. 7 में डाकघर के पास एक सामुदायिक भवन स्थित है जिसका क्षेत्रफल 0.03 हैक्टेयर है। कुचेरा में वार्ड न. 3 में पुलिस थाना तथा वार्ड न. 20 में दूरभाष केन्द्र स्थित है। यहाँ पर कोई अग्निशमन केन्द्र नहीं है। नगर का निकटतम अग्निशमन सेवा केन्द्र नागौर में स्थित है।

2.6.6. (य) जनोपयोगी सुविधाएं

जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति तथा जल-मल निस्तारण एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की सुविधा नगर के लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन सुविधाओं की विद्यमान स्थिति निम्न प्रकार है।

2.6.7. (य)(i) जलापूर्ति

कुचेरा नगर में 8 सार्वजनिक नलकूप हैं। नगर में पर्याप्त दबाव से जल वितरण के लिए 3 ओवरहेड टैंक निर्मित है जिनकी कुल क्षमता 505 किलोलीटर है। इसके अतिरिक्त दो सी.डब्ल्यू.आर. टैंकों का निर्माण किया हुआ है जिनकी कुल क्षमता 205 किलोलीटर है। वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन लगभग 3 घण्टे के लिए जल वितरण किया जाता है। नगर में 2100 आवासीय तथा 50 व्यावसायिक एवं 20 औद्योगिक कनेक्शन है। इस प्रकार कुचेरा नगर में कुल 2170 कनेक्शनों के माध्यम से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। कुचेरा में जलापूर्ति को तालिका 9 में दर्शाया गया है।

तालिका 9:

जलापूर्ति, कुचेरा-2010

क्र.सं.	जलापूर्ति की श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	2100
2	व्यावसायिक	50
3	औद्योगिक	20
	योग	2170

स्रोत: जन स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग, कुचेरा

2.6.8. (य) (ii) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

कुचेरा नगर में सीवरेज व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर गन्दे पानी के निष्कासन के लिए खुली नालियों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिदिन नगरपालिका द्वारा साफ करवायी जाती हैं। नगर में जल-मल निकास की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण रास्तों एवं सड़कों पर गन्दा पानी भरा रहता है। घरों में मल निस्तारण के लिए सेप्टिक टैंक बने हुए हैं परन्तु कच्ची बस्तियों में इनकी कोई व्यवस्था नहीं है और कच्ची बस्ती निवासी खुले में शौच जाते हैं। वर्तमान में नगर में कोई व्यवस्थित ठोस कचरा प्रबन्धन भी नहीं है। नगर का समूचा कचरा नगरपालिका द्वारा एकत्रित किया जाता है वह कोटेलाव तालाब के समीप स्थित कचरा संग्रहण स्थल एवं नगर से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित खुले क्षेत्र में डाला जाता है। कचरा उठाने के कार्य में कुल 2 ट्रेक्टर लगे हुए हैं जो कचरा संग्रहण करते हैं। कुचेरा में नगरपालिका द्वारा अभी वैज्ञानिक विधि द्वारा कचरा निष्पादन के स्थल का निर्माण नहीं कराया गया है।

2.6.9. (य)(iii) विद्युत आपूर्ति

कुचेरा नगर में विद्युत आपूर्ति मेडता रोड़ पर स्थित 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन से की जाती है। यह ग्रिड स्टेशन मुख्य विद्युत प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रतिदिन 3 से 6 घण्टों के लिए बिजली कटौती होती है। नगर की बढ़ती जनसंख्या के लिए एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिक बिजली की आवश्यकता है। नगर में कुल 435 स्ट्रीट लाइट्स हैं। नगर की विद्युत आपूर्ति-2010 को तालिका 10 में दर्शाया गया है।

तालिका 10:

विद्युत आपूर्ति, कुचेरा-2010

क्र.सं.	उपभोग की श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	1400
2	व्यावसायिक	200
3	औद्योगिक	110
	योग	1710

स्रोत: जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कुचेरा

2.6.10. (य)(iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान

कुचेरा नगर में वर्तमान में 5 कब्रिस्तान हैं जो कि नगर के मध्य कोटेलाव तालाब के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर रोड़, बासनी खलील रोड़ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ 11 श्मशान हैं जो कि बोरवा रोड़, रूपाथल रोड़, भरमंडी तालाब,

रामसर तालाब के पास आदि स्थानों पर स्थित हैं। कब्रिस्तान एवं श्मशान के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 2.31 हैक्टेयर है।

2.6.7. परिसंचरण

कुचेरा नगर के क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को देखते हुए यहाँ यातायात साधनों के सुगमता की आवश्यकता है, अभी यह नगर केवल सड़क माध्यम से अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है।

2.6.8. (अ) यातायात व्यवस्था

कुचेरा राष्ट्रीय राजमार्ग 89, राज्य राजमार्ग 63 एवं प्रमुख जिला मार्ग 37 बी पर स्थित है, जो कि कुचेरा को मुख्य रूप से नागौर, अजमेर, खजवाना एवं लुनसरा से जोड़ते हैं, समस्त मार्ग नगर के मध्य से निकलने एवं नगर के अन्दर इसकी चौड़ाई काफी कम होने के कारण नगर पर यातायात व्यवस्था का दबाव निरन्तर बना रहता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के दक्षिणी भाग पर पुलिस स्टेशन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय, विद्युत सब स्टेशन, पशु चिकित्सालय इत्यादि स्थित हैं, यह मार्ग रामसर तालाब के अग्र भाग से होकर उत्तर-पश्चिम दिशा में नगर के आबादी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इस भाग में मुख्य सड़क के किनारे व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हैं।

कुचेरा नगर में राज्य राजमार्ग 63 बेनाड़ से आरम्भ होकर कुचेरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 89 में आकर मिलता है। यह मार्ग कुचेरा के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में स्थित है। इस मार्ग पर कुछ व्यावसायिक व आवासीय गतिविधियाँ संचालित है। वर्तमान में इस मार्ग के दोनों तरफ लगते हुए भू-भाग क्षेत्र पर ही विकास हुआ है। कुचेरा नगर में जिला मार्ग 37-बी उत्तरी-पूर्वी दिशा में लूणसरा की तरफ से आकर राष्ट्रीय राजमार्ग 89 में मिलता है। कुचेरा नगर में इस मार्ग पर स्थित भूमि केवल आवासीय रूप में विकसित हुई है।

कुचेरा नगर से अन्य सड़क मार्ग राजस्व ग्राम निम्बडी, सिंदलास, आकेली, कसाउ, रूपथल, बोरवा व बासनी खलील की तरफ जाते हैं।

कुचेरा में खुदरा व्यापार केन्द्र सघन आबादी वाले क्षेत्र में यथावत कार्यरत होने के कारण यातायात व्यवस्था पर दबाव पड़ रहा है। नगर के बाजार क्षेत्र में सड़कों तंग है जो कि अब यातायात के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ से आने जाने में काफी समय लगता है। इन सड़कों की चौड़ाई क्रमशः 3 मी. तथा 3.4 मी. है जो कि सन्तोषजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त खुदरा बाजार वाले क्षेत्र में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्थाई बस स्टैण्ड के आस-पास एवं बाजार क्षेत्र में वाहन सड़क पर ही खड़े रहते हैं।

नगर में ज्यादातर सड़कों की चौड़ाई 4-10 मीटर तक की है यहाँ सिर्फ कृषि मण्डी में पार्किंग उपलब्ध है। नगर की व्यावसायिक क्षेत्रों की सड़क की चौड़ाई कम है। अतः यहाँ के मुख्य व्यापारिक केन्द्र में सड़कें कम चौड़ी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या सदैव बनी रहती है।

2.6.9. (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल

कुचेरा नगर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों के आवागमन नियंत्रण हेतु बस स्टैण्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ उक्त बसों का संचालन राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित करंट बालाजी मंदिर के एक कमरे में स्थापित कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुचेरा नगर से प्रतिदिन लगभग 20 बसों का संचालन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम तथा निजी एजेंसियों द्वारा भी बसों का संचालन मुख्य रूप से जोधपुर, पीपाड़, लाडनू, डीडवाना, सालासर, भोपालगढ़, नागौर इत्यादि मार्गों पर किया जा रहा है।

कुचेरा में कोई ट्रक स्टैण्ड नहीं है तथा भारी वाहन नगर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरते हैं। यद्यपि कुचेरा में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्ग होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन रात्रि के समय सुगमता से होकर गुजरता है परन्तु दिन के समय यातायात की समस्या बनी रहती है। यहाँ पर आने व जाने वाली समस्त वस्तुओं के ट्रांसपोर्ट हेतु रामावत ट्रांसपोर्ट तथा सैनिक ट्रांसपोर्ट द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है।

कुचेरा में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ का निकटवर्ती ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन मारवाड़-मूण्डवा है, जो कुचेरा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, जोधपुर, भटिण्डा, रणकपुर, अहमदाबाद, जम्मू जाने वाली यात्री गाड़ियों का ठहराव है। इस नगर का समीपस्थ हवाई अड्डा 123 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर में है।

3.

नियोजन की संकल्पना

नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत होता है। वहां के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तनीय है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहां एक ओर सुरक्षा की वजह से कस्बे का विकास संघटित (कॉम्पेक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराए रूप में बसने लग गई है। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है, फलस्वरूप कस्बों पर दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

किसी भी समुदाय के लिए भूमि एक प्राथमिक संसाधन है, जो सीमित है अतः भूमि के अधिकतम एवं बेहतर उपयोग तथा उस पर नियन्त्रण के लिए भौतिक नियोजन महत्वपूर्ण है, ताकि समुदाय के लिए उपलब्ध भूमि का अधिकतम उपयोग हो सके। आर्थिक गतिविधियों एवं भू-उपयोग का सामंजस्य वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए नियोजन प्रक्रिया आवश्यक है। भौतिक नियोजन या नगर एवं प्रादेशिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप एवं विकास आदि के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है, तथा इन निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु समुचित तंत्र की रचना की जाती है। एक बार यदि प्रत्येक नगर के संबंध में ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय कर लिए जाते हैं तो दिन प्रतिदिन के मसलों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के सन्दर्भ में विचारकर ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर की अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार समग्र ढाँचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। मास्टर प्लान भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है। इसके साथ भू-उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से संबंधित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान किसी भी नगर के प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें सुरक्षित बनाये रखने की प्रबल जन-आकांक्षा हो सकती

है। अतः कतिपय मान्यताएं निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन नीतियों एवं उद्देश्यों के सन्दर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है। इन उपरोक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। कुचेरा नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियां

योजना की मुख्य भूमिका यह होनी चाहिये कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य में विकास न केवल सही दिशाओं एवं स्थलों पर हों और यह एक सफल समुदाय की संरचना कर सके, उन्हें एक पहचान दे सके तथा साथ-साथ रहने, जीवनयापन करने व आवागमन हेतु सुगम संचरण सुविधाएं प्रदान कर सके।

यह वर्तमान एवं आने वाले समुदायों के आपसी प्रयत्नों पर निर्भर करता है। योजना की प्रक्रिया इन प्रयत्नों में योगदान कर सकती है, जैसे कि समुचित स्तर की जन एवं सामुदायिक सुविधाएं, सही स्थल को चयनित करना, एक स्थल पर वे सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, जिससे की उनकी एक अलग पहचान बन सके तथा यह सुनिश्चित हो कि उक्त सुविधाओं का भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भलीभांति जुड़ाव हो सके एवं सभी समुदायों के साथ भी तालमेल बना रहे।

यह अनुमान है कि आगामी दशकों में कुचेरा उपखण्ड मुख्यालय अपने पश्य क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होने के फलस्वरूप यह प्रशासन, व्यापार एवं वाणिज्य तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र बना रहेगा।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त

उपर्युक्त नीतियों के सन्दर्भ में मास्टर प्लान को कार्य रूप में परिणित करने के लिए निम्न नियोजन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है, जो कि कुचेरा के सन् 2031 तक के भू-उपयोग योजना के प्रस्तावों को प्रतिपादित करने में मार्गदर्शन करेगा।

1. कुचेरा कस्बे में स्थित रिक्त भूमि पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है अतः समुचित एकीकृत विकास करने की दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक एवं सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए। विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आवंटन इस प्रकार होना चाहिए कि नगर की विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामन्जस्य स्थापित रहे। कुचेरा के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना चाहिए। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्यकेन्द्र उचित मूलभूत सुविधाओं के

- साथ विकसित किये जाने चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिए आकृष्ट हों।
3. कुचेरा के भीतर स्थित पुराने क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय व क्षेत्रीय मांग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रमी पद्धति विकसित की जानी चाहिए। वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिए कि शहर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदित आवागमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक केन्द्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थितियों में विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने व्यावसायिक केन्द्रों में भीड़ कम होगी। अनौपचारिक व्यवसाय हेतु योजनाओं में उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए, ताकि सड़कों पर थड़ी के रूप में अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर रोक लगे एवं यातायात में सुधार हो।
 4. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिए पर्याप्त स्थान संधारित करने होंगे। विशिष्ट प्रकार के थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर तथा भण्डारण एवं गोदाम भारी यातायात को बढ़ाते हैं। उनके लिए घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए।
 5. नगर के पश्य क्षेत्र के दृष्टिगत नगर में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के आधार पर नियोजित रूप में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहिए। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्यक्षेत्र होते हैं, वायु की दिशा के अनुसार स्थापित किये जाने चाहिए, ताकि वे आस पास की आबादी, जल स्रोतों व पर्यावरण को दूषित न करें।
 6. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए। सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं एवं आमोद-प्रमोद की सुविधाओं का विकास शहर में उचित रूप से वितरण करते हुए किया जाना चाहिए। नये आमोद-प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथासम्भव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का चयन किया जाना चाहिए।
 7. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाए कि इससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू-उपयोग योजना एवं यातायात संरचना एक-दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिये बाह्य व उप मार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान

- मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाएं। कस्बे को सड़क जंक्शन पर चौराहे का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
8. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्थानीय सीमाओं के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए। इस परिधि नियंत्रण पट्टी में स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति के साथ, अव्यवस्थित विकास की प्रक्रिया भी रूक सकेगी।
 9. पुराने क्षेत्रों में जहां सड़कें संकड़ी हैं एवं यातायात की समस्या है, वहां पर नई निर्माण स्वीकृति देते समय/पुनर्निर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से प्रस्तावित बाह्य सड़कों के सहारे 50 फीट चौड़ी पौधारोपण पट्टी का प्रावधान रखा जाना चाहिए। योजनाओं में छोड़े गये उद्यानों के विकास एवं पौधारोपण हेतु गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। सड़कों के किनारे पौधारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नदी के सहारे जो भूमि विकास योग्य नहीं है, उन पर भी सघन पौधारोपण किया जाना चाहिए।
 10. ऐतिहासिक भवन इमारतें एवं प्राकृतिक संसाधन तालाब, नालों एवं बहाव क्षेत्र का सीमांकन कर इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना चाहिए।
 11. राजकीय और अर्द्ध-राजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थापित किये जाने चाहिए कि उन्हें आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो और वे मुख्य मार्गों पर स्थित हों।
 12. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल-मल-निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि ढाँचागत विकास हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।
 13. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, व्यावसायिक, कार्यक्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

भावी आकार

वर्ष 2001 में कुचेरा की जनसंख्या 19,521 थी क्षितिज वर्ष 2031 में जनसंख्या लगभग 49,000 होने का अनुमान है। मास्टर प्लान हेतु अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में कुचेरा सहित 4 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। जिनका कुल क्षेत्रफल 10,290.42 हैक्टेयर है। वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र 146.27 हैक्टेयर है तथा जनसंख्या घनत्व 168 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होने का आंकलन किया गया है। वर्तमान में नगर का कुल नगरीयकृत क्षेत्र 375.16 हैक्टेयर है।

कुचेरा नगर राज्य के मध्य भाग में स्थित है। वर्तमान में लगभग सभी गतिविधियाँ नगर के भीतर ही संचालित होती रही हैं। नगर के बाहरी हिस्से में ज्यादातर कृषि की जाती है। गत कुछ वर्षों से नगर का राष्ट्रीय राजमार्ग-89 एवं राज्य राजमार्ग-63 के आसपास विकास शुरू हो गया है। मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग-89 पर कुचेरा में पुलिस स्टेशन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी कार्यालय, विद्युत ग्रिड सब स्टेशन, पशु चिकित्सालय, बी.एस.एन.एल. कार्यालय इत्यादि विकसित हो चुके हैं। इस प्रकार नगर का अधिकतम विकास राष्ट्रीय राजमार्ग-89 व राज्य राजमार्ग-63 पर हो रहा है। कुचेरा नगर का विकास चारों दिशाओं में समान रूप से राजकीय भूमि की उपलब्धता एवं वर्तमान में नगर के विकास को मद्देनजर रखते हुए प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग-89, राज्य राजमार्ग 63 एवं प्रमुख जिला मार्ग 37-बी नगर के मध्य से गुजरने के कारण यातायात के दबाव को कम करने के लिए नगर के चारों तरफ रिंग रोड प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित रिंग रोड पर नगर के उत्तर पश्चिमी भाग में रिंग रोड एवं राज्य मार्ग 63 के जंक्शन पर औद्योगिक क्षेत्र, वेयर हाउसिंग व गोदाम तथा उत्तरी-पूर्वी भाग में निम्बोला तालाब के पास मनोरंजन हेतु पार्क व रिंग रोड एवं प्रमुख जिला राजमार्ग जंक्शन पर राजकीय कार्यालयों हेतु भू-उपयोग प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार नगर की भावी विकास की परिकल्पना करते समय उपर्युक्त तथ्यों एवं बाध्यताओं के साथ जनांकिकी, व्यावसायिक संरचना, विकास योग्य क्षेत्र, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र, योजना के क्षेत्रों इत्यादि महत्वपूर्ण तत्वों के आधार पर भू-उपयोग योजना-2031 तैयार की गई है।

4.1 जनांकिकी

वर्ष 1981 में कुचेरा नगर की जनसंख्या मात्र 11,352 थी, जो वर्ष 1991 में बढ़कर 14,479 हो गई। इस दशक में वृद्धि दर 27.55 प्रतिशत रही। वर्ष 2001 में जनसंख्या 19,521 हो गई जिसकी वृद्धि दर 34.82 प्रतिशत दर्ज की गई। आधार वर्ष 2010 में जनसंख्या लगभग 25000 होने का आंकलन किया गया है।

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस योजना अवधि में कुचेरा का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक इस कस्बे की जनसंख्या 49,000 तक पहुंचने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि एवं आप्रवास को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1981 से 2031 तक के लिए कुचेरा की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान को तालिका-11 में दर्शाया गया है:-

तालिका 11:

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान 1981-2031

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर
1981	11,352	—	—
1991	14,479	3,127	27.55
2001	19,521	5,042	34.82
2011	26,500*	6979	35.75
2021	37,000*	10500	39.62
2031	49,000*	12,000	32.43

स्रोत: जनगणना, भारत सरकार एवं अनुमान*

4.2 व्यावसायिक संरचना

क्षितिज वर्ष 2031 में व्यावसायिक संरचना नगर के पिछले वर्षों में हुई जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के विकास को ध्यान में रखकर आंकी गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2031 में कार्यशील जनसंख्या का सहभागिता अनुपात 34.98 प्रतिशत होगा। जबकि यह पूर्व के दशकों में यह 39.25 प्रतिशत एवं 42.24 प्रतिशत रहा है। तालिका-12 में व्यावसायिक संरचना को दर्शाया गया है:-

तालिका 12:
व्यावसायिक संरचना, कुचेरा 2001 – 2031

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010*		2031*	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत
1	काश्तकार, वानिकी इत्यादि	4173	50.61	3890	39.65	5164	30.12
2	कृषि मजदूर	889	10.78	1233	12.57	2574	15.01
3	घरेलू उद्योग श्रमिक	653	7.92	1487	15.15	3258	19.00
4	अन्य श्रमिक	2531	30.69	3202	32.63	6145	35.84
कुल		8246	100.00	9812	100.00	17141	100.00
सहभागिता अनुपात		42.24%		39.25%		34.98%	
जनसंख्या		19521		25000		49000	

स्रोत: जनगणना भारत सरकार एवं अनुमानित*

क्षितिज वर्ष 2031 में यह अनुमान लगाया गया है कि विकास के साथ-साथ कामगारों का झुकाव कृषि एवं उस पर आधारित व्यवसाय से व्यापार एवं वाणिज्यिक क्रियाकलापों में बढ़ेगा, तथा अन्य सेवाओं जैसे कि परिसंचरण, उद्योग, निर्माण तथा सरकारी एवं अन्य कार्यों में भी कामगारों की वृद्धि होगी। उपरोक्त तालिका अनुसार आधार वर्ष 2010 से क्षितिज वर्ष 2031 में काश्तकार श्रमिकों में कमी तथा अन्य श्रमिकों में वृद्धि का अनुमान किया गया है। वर्ष 2031 में व्यावसायिक संरचना के वर्गीकरण में 30.12 प्रतिशत काश्तकार, 35.84 प्रतिशत अन्य श्रमिक तथा 15.01 प्रतिशत खेतीहर मजदूर, शेष 19.00 घरेलू उद्योगों में कार्यरत होने का अनुमान किया गया है।

4.3 नगरीय क्षेत्र

कुचेरा का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3 (i) के अन्तर्गत कुचेरा नगर में 4 राजस्व ग्रामों को कुचेरा के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प. 10 (109) न.वि.वि. 3/2010 दिनांक 20.07.2010 अधिसूचना जारी

की गई है। नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 505.41 हैक्टेयर है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र से लगते हुए समुचित क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी हेतु रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। अधिसूचित ग्रामों में कुचेरा फिरोजपुर चारणा, खेडा नारनोलिया तथा रूपाथल राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं। नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना परिशिष्ट-3 में अंकित है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र

जनांकिकी अनुमान के अनुसार कुचेरा की जनसंख्या वर्ष 2031 में 49000 व्यक्ति होने की संभावना है। नगर की, 2010 में जनसंख्या 25,000 होने का आंकलन किया गया है। भविष्य में विकास हेतु पर्याप्त आवासीय क्षेत्र, कार्य स्थलों एवं सामुदायिक सुविधाओं के साथ सुगम यातायात व्यवस्था के लिये लगभग 372.44 हैक्टेयर विकसित भूमि की आवश्यकता होगी। इससे जनसंख्या घनत्व अनुमानतः लगभग 131 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर होगा।

वर्तमान में लगभग 375.16 हैक्टेयर क्षेत्र नगरीयकृत है। इस प्रकार वर्ष 2031 तक लगभग 505.41 हैक्टेयर भूमि नगरीयकरण योग्य है एवं इसमें से कुल 372.44 हैक्टेयर क्षेत्र विकसित होने की संभावना है।

4.5 योजना क्षेत्र

कुचेरा के मास्टर प्लान हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों का निर्धारण करते समय वर्तमान प्रणाली, भौतिक अवरोध, आर्थिक गतिविधियों व विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक कार्य सम्बन्धों को ध्यान में रखा गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र में आवास, बाजार एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे योजना क्षेत्र अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे। प्रत्येक योजना क्षेत्र हेतु प्रस्तावित क्षेत्र को तालिका - 13 में दर्शाया गया है:-

तालिका 13:

योजना क्षेत्र, कुचेरा - 2031

क्रम संख्या	योजना	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	कोर योजना क्षेत्र	161.51
2	पश्चिम योजना क्षेत्र	154.22
3	कृषि उपज मण्डी योजना क्षेत्र	189.68
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		505.41
4	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	10268.74
कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र		10774.15

4.5.1 कोर योजना क्षेत्र

इस क्षेत्र में मुख्यतः पुराना नगर है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-89 के अजमेर से नागौर की तरफ नगर के दांयी तरफ स्थित है। जिसमें उत्तर की तरफ मुख्य जिला मार्ग 37-बी, पूर्व की तरफ बनबड़ी तालाब, दक्षिण की तरफ कोटेलाव तालाब की दक्षिणी सीमा तक एवं पश्चिम की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग-89 के मध्य का क्षेत्र है। इस परियोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 161.51 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में नगर पालिका के वार्ड संख्या 6, 7, 10, 11, 12 एवं 13 स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से कुचेरा नगर के उत्तर दिशा में स्थित है। यह अत्याधिक भीड़-भाड़ वाला संकुचित क्षेत्र है। नगर की इस क्षेत्र की बसावट मध्य से उंची होकर चारों तरफ लगभग 6-7 मीटर तक ढलान के रूप में है। इस क्षेत्र में सड़कों का जाल सीधा अथवा ग्रिड-आयरन पैटर्न पर नहीं होकर घुमावदार अनियोजित सड़कों के रूप में है, जहाँ यातायात की समस्या निरन्तर बनी रहती है। इस क्षेत्र में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के कुल 9 स्कूल संचालित है एवं नगर की नगर पालिका एवं राजकीय चिकित्सालय इसी क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर का अस्थाई बस टर्मिनल, जहाँ से प्रतिदिन बसों का संचालन होता है, स्थित है। इस क्षेत्र में नगर का एकमात्र उद्यान स्थित है। कुचेरा नगर के दो मुख्य बाजार छोटा एवं बड़ा बाजार इसी क्षेत्र में स्थित है।

इस क्षेत्र हेतु प्रस्ताव है कि नगर के इस भाग में जो भी खुले स्थल हैं, उनमें पार्क एवं पार्किंग हेतु स्थल विकसित किये जाएं। इस क्षेत्र में भविष्य हेतु पार्क, डिस्पेन्सरी, मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यावसायिक केन्द्र इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5.2 पश्चिम योजना क्षेत्र

यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के पश्चिम दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र में से नगर से फिरोजपुर, बासनीखली, सांजू, खजवाना, निम्बड़ी आदि राजस्व ग्रामों को जाने वाली सड़कें गुजरती है। इसका कुल क्षेत्रफल 154.22 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में रामसर तालाब, 4 कब्रिस्तान, विभिन्न राजकीय कार्यालय यथा विद्युत वितरण निगम मय ग्रिड सबस्टेशन, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, पुलिस स्टेशन, पशु चिकित्सालय इत्यादि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अजमेर को जाने वाली दिशा में एवं दूरसंचार विभाग का कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागौर को जाने वाली दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र में खजवाना को जाने वाले राजमार्ग संख्या 63 पर कुछ व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियाँ एवं निम्बड़ी को जाने वाली सड़क पर गौशाला संचालित है।

इस योजना क्षेत्र में औद्योगिक, खुदरा व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक, राजकीय आरक्षित क्षेत्र, राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय, जनोपयोगी पार्क, वृक्षारोपण,

आवासीय, बस टर्मिनल, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, शिक्षा इत्यादि के प्रयोजनार्थ भूमि को आरक्षित की गई है।

4.5.3 कृषि उपज मण्डी योजना क्षेत्र

यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के अजमेर से नागौर मार्ग के पूर्व दिशा में कोर योजना क्षेत्र का भाग है। इस क्षेत्र में से नगर से बोरवा, रूपाथल, कासनू, लूणसरा, एकली सिंदलास इत्यादि राजस्व ग्रामों को जाने वाली सड़कें गुजरती हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 189.68 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र में भरमंडी तालाब, संसारा नाड़ा, निम्बोला तालाब, 3 श्मशान व कृषि उपज मण्डी इत्यादि स्थित हैं। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के अजमेर दिशा वाले भाग में आवासीय गतिविधियाँ विकसित हो चुकी हैं।

इस योजना क्षेत्र में आवासीय, खुदरा व्यापार एवं सामान्य वाणिज्यिक, राजकीय एवं अर्द्ध-राजकीय, जनोपयोगी पार्क, शैक्षणिक, चिकित्सा व अन्य सामुदायिक सुविधाओं इत्यादि के प्रयोजनार्थ भूमि को आरक्षित की गई है।

4.5.4 परिधि नियंत्रण पट्टी

उपर्युक्त योजना क्षेत्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान का यह भाग, जो नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य में स्थित परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहाँ पर भूमि का उपयोग कृषि, जंगलात, बागवानी, उद्यान, रिसोर्ट, फार्म हॉउस, मौटैल, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं इनसे सम्बन्धित उपयोगों हेतु ही उपलब्ध होगा। इस क्षेत्र के प्रस्ताव से नगर के बाहरी क्षेत्रों में होने वाले अव्यवस्थित नगरीय विकास पर अंकुश लगेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुँमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित शहरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 10268.74 हैक्टेयर है।

5.

भू-उपयोग योजना

भू-उपयोग योजना नगर नियोजन की विभिन्न नीतियों और सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर नगर के विस्तार हेतु तैयार की गई भावी योजना है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गई है। नगरीय भूमि दुर्लभ संसाधन है, अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि-सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर परिकल्पना की गई है तथा नगर नियोजन मानदण्डों के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आंकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू-उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शाई गई है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग योजना हेतु मदवार भू-उपयोग के लिए उपयुक्त घनत्व के मानदण्डों के अनुसार वर्ष 2010 में भू-उपयोग में कमी/अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल में आंकलित किया गया है। इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग हेतु कुल 372.44 हैक्टेयर भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गई है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र में 55.47 प्रतिशत आवासीय, 3.21 प्रतिशत वाणिज्यिक, 7.91 प्रतिशत औद्योगिक, 1.91 प्रतिशत राजकीय (सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय), 3.77 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक, 12.71 प्रतिशत आमोद-प्रमोद तथा 15.02 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भू-उपयोग को तालिका-14 में दर्शाया गया है :-

तालिका 14:
प्रस्तावित भू-उपयोग, कुचेरा-2031

क्र. सं.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1	आवासीय	206.60	55.47	40.88
2	वाणिज्यिक	11.93	3.21	2.36
3	औद्योगिक	29.43	7.91	5.82
4	राजकीय	7.12	1.91	1.41
5	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	14.06	3.77	2.78
6	आमोद-प्रमोद	47.35	12.71	9.37
7	परिसंचरण	55.94	15.02	11.07
कुल विकसित क्षेत्र		372.44	100.00	73.69
8	अन्य कृषि एवं रिक्त भूमि	6.20	—	1.24
9	तालाब एवं अंगोर भूमि	126.69	—	25.07
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		505.41	—	100.00

5.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस प्रकार से तैयार की गई है कि ताकि यहाँ स्वस्थ पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद-प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी हो। निकटवर्ती प्रतिरूप के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा तथा सांस्कृतिक एवं सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ़ होंगे। लोगों को आवासीय बस्तियों के निकट दिन-प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

मास्टर प्लान में तीन प्रकार के आवासीय घनत्व रखे गये हैं। नगर के में पुराने भाग में आवासीय घनत्व 251 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से अधिक होगा, जबकि कार्यस्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 126-250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर अनुमानित किया गया है। इसके साथ-साथ योजना के नियोजन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नये आवासीय क्षेत्र 125 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर से कम की सघनता के साथ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। कुचेरा में जो कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं, ऐसे क्षेत्रों में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुधार को प्राथमिकता दिया जाना

आवश्यक है। आधार वर्ष 2010 में कुचेरा में विकसित क्षेत्र का 50.21 प्रतिशत अर्थात् 74.78 हैक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। जिसका आवासीय जनसंख्या घनत्व 334 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर है, जिसे क्षितिज वर्ष 2031 तक 131 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2010 की जनसंख्या के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ 48.98 हैक्टेयर क्षेत्र की कमी का आंकलन किया गया है। वर्ष 2010-2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 131.82 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। इस आधार पर क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 202.60 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.1.1 आवासन

आवास समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सार्वधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। अतः आवश्यक है कि नगरपालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराएँ। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि नियोजित ढंग से लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके।

5.1.2 अनौपचारिक सेक्टर के लिये आवास

नगर के पुर्नस्थापना एवं पुर्नविकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाएगा। पुर्नस्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिये चलाया जाएगा जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुर्नविकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिये किया जाएगा जहां झुग्गी-झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। कच्ची-बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके पुर्नविकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि विस्थापन कम से कम हो। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

कुचेरा में वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक वर्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन नगर में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे-छोटे व्यवसाय चल रहे हैं। अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली कार्य योजनाओं में अनौपचारिक वर्ग हेतु उचित स्थल आरक्षित किये जाएंगे।

5.1.3 कच्ची बस्तियां

नगरपालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएँ तथा

विद्यमान कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार समयबद्ध कार्यक्रम में किया जाए।

5.2 वाणिज्यिक

कुचेरा वाणिज्य, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2031 तक नगर की कुल जनसंख्या का 34.98 प्रतिशत की दर से 17141 व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों यथा काश्तकार, खेतीहर मजदूर, घरेलू उद्योग में कार्यरत श्रमिक एवं अन्य श्रमिक कार्यरत रहेंगे।

कुचेरा में भौतिक विकास के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशकों में नगर के प्रमुख मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। नगर में वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से आंतरिक भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के दोनों ओर केन्द्रित है। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसंगत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज उपलब्ध हो सकें। आधार वर्ष 2010 में घरेलू उद्योग तथा अन्य श्रमिकों की श्रेणी में 4689 व्यक्ति कार्यरत हैं, जो क्षितिज वर्ष में 9403 व्यक्ति होने की सम्भावना है। वर्ष 2010 में विकसित क्षेत्र का 6.77 प्रतिशत भाग अर्थात् 10.08 हैक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग के अन्तर्गत था, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 3.21 प्रतिशत अर्थात् 11.93 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ-साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका-15 में दर्शाया गया है:-

तालिका 15:

प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, कुचेरा- 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	2.50
2	भण्डारण एवं गोदाम	5.92
3	वाणिज्यिक केन्द्र	3.51
योग		11.93

5.2.1 केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र

नगर का मुख्य बाजार क्षेत्र ही केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र नगर का आंतरिक भाग एवं उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित है एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक सम्भावना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर

वर्तमान में सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं होने के कारण यातायात, पार्किंग एवं सामान ले जाने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो रही हैं। मास्टर प्लान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर के उत्तरी व दक्षिण भाग में तथा प्रस्तावित रिंग रोड पर नगर के पूर्वी, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम योजना क्षेत्र में कुल 2.50 हैक्टेयर भूमि केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र हेतु आरक्षित किया गया है।

5.2.2 भण्डारण एवं गोदाम

कुचेरा नगर में भविष्य में सम्भावित औद्योगिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के विकसित होने पर नगर में भण्डारगृहों एवं गोदामों की आवश्यकता होगी। अतः मास्टर प्लान में पश्चिम दिशा में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र एवं आकेली रोड पर कृषि उपज मण्डी के समीप लगभग 5.92 हैक्टेयर क्षेत्र भण्डारण हेतु प्रस्तावित की गई है, ताकि पास में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र एवं कृषि उपज मण्डी के लिए भण्डारण की समुचित सुविधा उपलब्ध को सके।

5.2.3 वाणिज्यिक केन्द्र

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में यातायात सम्बन्धी अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ये व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र नगर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहाँ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं न ही सामान को लादने एवं उतारने की सुविधा उपलब्ध है। अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के दबाव को कम करने के लिए तथा वाणिज्यिक केन्द्रों को उचित स्थानों पर स्थित किये जाने के लिए कुचेरा मास्टर प्लान में 6 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि नगर के चारों ओर समुचित मात्रा में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सकें। वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प एवं सामुदायिक भवन आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर 3.51 हैक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रस्तावित की गई है।

5.3 औद्योगिक

वर्तमान में कुचेरा औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़ा हुआ है। कुचेरा में केवल एक ट्रेक्टर ट्रौली, खेती से सम्बन्धित उपकरण बनाने का उद्योग व कोल्ड स्टोरेज के दो लघु उद्योग छोटा व बड़ा बाजार क्षेत्र में संचालित है।

भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य राजमार्ग 63 एवं इससे लगते हुए क्षेत्र में 29.43 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र हेतु वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसका मुख्य आधार संतुलित औद्योगिक विकास एवं सभी उद्योगों के एक ही स्थान पर स्थापित करना है।

5.4. सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय

वर्तमान में कुचेरा में प्रशासनिक स्तर का कोई कार्यालय विद्यमान नहीं है। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत केवल नगर पालिका विद्यमान है, जो कि सम्पूर्ण नगर में विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन करती है। यहाँ पर नगर पालिका, कृषि ऊपज मण्डी समिति, जलदाय विभाग एवं विद्युत विभाग के कार्यालय हैं। राजकीय क्षेत्र में लगभग 123 व्यक्ति कार्यरत हैं। विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु 6.17 हैक्टेयर भूमि प्रमुख जिला मार्ग एवं रिंग रोड पर प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालयों के लिए कुल 7.12 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है।

5.5 आमोद-प्रमोद

कुचेरा के निवासियों एवं प्रवासियों के मनोरंजन आमोद-प्रमोद हेतु वर्तमान में 0.09 हैक्टेयर भूमि विकसित है। क्षितिज वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं के दृष्टिगत विभिन्न स्थलों पर 47.26 अतिरिक्त भूमि प्रस्तावित की गई है। इस प्रकार कस्बे में विद्यमान स्थिति से योजना अवधि 2031 तक प्रस्तावित कुल क्षेत्र 47.35 हैक्टेयर भूमि का प्रावधान रखा गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 12.71 प्रतिशत होगा।

5.5.1 उद्यान एवं खुले स्थल

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः नगर के फेफड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से नगर वासियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध होता है। कुचेरा नगर में एकमात्र उद्यान है जिसका क्षेत्रफल 0.5 हैक्टेयर है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम है। भविष्य की आवश्यकता का आंकलन करते हुए मास्टर प्लान में कुचेरा नगर की चारों दिशाओं में विभिन्न स्थलों पर खुले स्थलों का यथोचित प्रावधान रखा गया है।

5.5.2 खेल मैदान

वर्तमान में कुचेरा नगर में कोई खेल मैदान उपलब्ध नहीं है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए नगर के विभिन्न स्थलों पर भूमि आरक्षित की गयी है। वर्तमान में राजकीय सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालय की भूमि खेल मैदान के उपयोग में ली जा रही है।

5.5.3 अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन

कुचेरा में वर्तमान में अर्द्ध-सार्वजनिक मनोरंजन हेतु कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर करन्ट बालाजी मंदिर द्वारा करन्ट बालाजी सेवा समिति (स्वयं सेवी संस्था) का गठन किया गया है, जिसके द्वारा नगर में धार्मिक, योगिक एवं नागरिक जागरूकता हेतु समय-समय पर सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। समिति का कार्यालय मन्दिर परिसर में स्थित है, इस समिति द्वारा एक धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस का संचालन किया जाता है।

अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन की सुविधाएं जिसमें म्यूजियम, आर्ट गैलरी, क्लब, सिनेमा इत्यादि जैसे भू-उपयोग आते हैं, के लिए मास्टर प्लान में भूमि प्रस्तावित की गई है। अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन के लिए स्थल प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्रों में एवं सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों में उपलब्ध कराया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर विस्तृत आवासीय योजना बनाते समय भी ऐसे स्थलों का प्रावधान किया जाएगा।

5.5.4 मेले एवं पर्यटन सुविधाएं

कुचेरा नगर में प्रतिवर्ष भाद्रप्रद में शुक्ल पक्ष की द्वितीय को हनुमान जयन्ती के दिन मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रप्रद माह में शुक्ल पक्ष की तेरस को भैरुजी का मेला आयोजित किया जाता है। लोगों में धार्मिक, सामाजिक एवं आपसी सहयोग की भावनाएं जाग्रत करने के लिए इस मेलों का काफी महत्व माना जाता है।

कुचेरा नगर में काबरा (माहेश्वरी) समुदाय की कुलदेवी सुसमाद माता का मन्दिर इस नगर में स्थित है जहाँ बसंत पंचमी पर हर वर्ष मेला आयोजित किया जाता है। यहाँ यह पूजा एक बड़े परिसर में एक साथ विशाल स्तर पर की जाती है। यहाँ एक और मेला दीपावली से पहले नवरात्री के दौरान भी आयोजित किया जाता है। कुचेरा में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं स्थानीय नागरिकों के लिए रेस्तरां, रिसोर्ट, एम्पूजमेंट पार्क एवं पार्किंग इत्यादि सुविधाएं विकसित की जानी प्रस्तावित हैं।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधाएं तथा शमशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएं सम्मिलित हैं। कुचेरा की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं नगण्य हैं। इस समस्त सुविधाओं को नगर विकास के जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए इन सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान में लगभग 14.06 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.6.1 शैक्षणिक सुविधाएं

कुचेरा नगर अपने पश्य क्षेत्र का शिक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। यहाँ पर आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहाँ पर सरकार की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ स्थल आरक्षित किये गये हैं। इस आधार पर नगर की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान में विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छोटे विद्यालयों की सुविधाएं आवासीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं, जिनकी स्थिति को मास्टर प्लान में दर्शाया गया है नगर के अधिकतम स्कूल नगर के मध्य क्षेत्र में संचालित है, जिसके कारण नगर में यातायात व अन्य समस्याएं निरंतर बनी रहती हैं।

वर्तमान में नगर में कोई भी निजी अथवा सार्वजनिक महाविद्यालय नहीं हैं। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लुणसरा मार्ग पर प्रस्तावित सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कार्यालय के समीप एक महाविद्यालय प्रस्तावित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 3.48 हैक्टेयर है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागौर की ओर प्रस्तावित बस स्टैण्ड के नजदीक 2.53 हैक्टेयर भूमि पर एक एजुकेशनल जोन प्रस्तावित किया गया है। जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विभिन्न शैक्षणिक सुविधाएं यथा स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि विकसित किये जा सकते हैं। कुचेरा की अनुमानित शैक्षणिक संरचना को निम्न तालिका-16 में दर्शाया गया है:-

तालिका 16:

अनुमानित शैक्षणिक संरचना, कुचेरा-2031

क्र.सं.	विद्यालय/महाविद्यालय का नाम	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	औसत विद्यार्थियों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	10	5000	500
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11	5500	500
3	माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	7	8400	1200
4	महाविद्यालय	1	1000	1000
	योग	29	19900	686

5.6.2 चिकित्सा सुविधाएं

कुचेरा नगर में वर्तमान में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। जिसमें 30 शय्या की सुविधा उपलब्ध है, जोकि 1 हैक्टेयर क्षेत्र में संचालित है। यहाँ पर एक पशु चिकित्सालय जो लगभग 2 हैक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। उपरोक्त के अतिरिक्त यहाँ पर एक हौम्योपेथिक चिकित्सालय है, जिसका क्षेत्रफल 0.004 हैक्टेयर है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मुख्य जिला मार्ग पर एक नर्सिंगहोम प्रस्तावित किया गया है जिसका क्षेत्रफल 0.54 हैक्टेयर प्रस्तावित है। इसके अलावा दक्षिणी-पश्चिमी योजना क्षेत्र में एक पशु चिकित्सालय भी प्रस्तावित किया गया है। सभी सैक्टरों की जब विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, उस समय आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी हेतु स्थल आरक्षित किये जाने का भी प्रावधान प्रस्तावित है।

5.6.3 सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु विवाह स्थल, प्रदर्शनी स्थल, सामुदायिक भवन जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। इन सुविधाओं के लिए प्रस्तावित भू-उपयोग मानचित्र में सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक उपयोग हेतु पर्याप्त स्थल दर्शाये गये हैं। कस्बे में उपलब्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का पुर्नउत्थान एवं नवीन संरचना हेतु विकास कार्य किये जाने भी प्रस्तावित हैं।

5.6.4 अन्य सामुदायिक सुविधाएं

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएं जैसे डाकघर, पुलिस थाना, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि का आवश्यकता अनुसार प्रावधान रखा जाना चाहिए। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान में उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। ऐसी सुविधाएं, जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है, जैसे बारात स्थल आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए प्रस्तावित भूमि में किया जाना चाहिए।

5.6.5 जनोपयोगी सुविधाएं

जनोपयोगी सुविधाओं में जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, मल-जल निकास इत्यादि सम्मिलित हैं। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में सम्बन्धित विभाग द्वारा मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक प्रयास किये जाएं।

5.6.5(अ) जलापूर्ति

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार कुचेरा में औसत जल वितरण लगभग 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। 70 लीटर प्रति व्यक्ति पानी की आपूर्ति निर्धारित मापदण्डों की तुलना में कम है, इसे बढ़ा कर लगभग

100–125 लीटर प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव है। नगर में तीन ओवरहेड टैंक निर्मित हैं। जिनकी कुल क्षमता 505 किलोलीटर, इसके अतिरिक्त यहाँ दो सी.डब्ल्यू.आर. टैंकों का निर्माण किया हुआ है जिनकी कुल क्षमता 205 किलो लीटर है। वर्तमान में यहाँ पर लगभग 3 घंटे प्रतिदिन जल वितरण किया जाता है। सन् 2031 तक यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 49,000 होने का अनुमान है। अतः जलदाय विभाग को उक्त जनसंख्या हेतु पानी की उचित मात्रा में पानी की आपूर्ति करनी होगी। विभाग द्वारा उक्त मांग की पूर्ति हेतु नागौर लिफ्ट केनाल के मुख्य स्रोत गोगेलाव से किया जाना प्रस्तावित है, जो कि नागौर शहर से राष्ट्रीय राजमार्ग-89 (अजमेर-बीकानेर), 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए मास्टर प्लान में रिंग रोड पर लगभग 2.85 हैक्टेयर भूमि जलदाय विभाग के लिए आरक्षित की गई है।

5.6.5(ब) जल-मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन

कुचेरा में मल-जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहाँ पर वर्षा के पानी की निकासी का उचित प्रावधान नहीं है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैला हुआ रहता है। यहाँ पर सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था भी नहीं है। अधिकांश मकानों में सेप्टिक टैंक की व्यवस्था है तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है।

इस नगर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। कुचेरा नगर में ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ट्रेक्टर-ट्रॉली की सहायता से कचरा इकट्ठा किया जाता है तथा उसे शहर से 2 कि.मी. की दूरी पर ले जाकर खुले स्थान पर डाल दिया जाता है। जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा भूमिगत जल के प्रदूषण का खतरा सदैव बना रहता है। नगरपालिका एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तारतम्य से प्रदूषण को रोकने हेतु ठोस कचरा प्रबंधन की वैज्ञानिक पद्धति एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार नगर के परिधि नियंत्रण पट्टी में मृदा परीक्षण एवं ठोस कचरा संयंत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार नगर के परिधि नियंत्रण पट्टी में नगर के सामान्य ढलान को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीटमेंट उपरान्त प्राप्त जल को पुर्नचक्रण पद्धति के तहत वृक्षारोपण, बाग-बगीचे के रख-रखाव हेतु उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित है।

5.6.5(स) विद्युत आपूर्ति

कुचेरा नगर में वर्तमान में मेड़ता रोड पर 132 के.वी. का ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित है। वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन 3-6 घंटे बिजली कटौती की जाती है। नगर की बढ़ती जनसंख्या एवं विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अधिक

बिजली की आवश्यकता होगी। अतः इसको ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान में 33/11 के.वी. के तीन नए ग्रिड सब-स्टेशन, भरमंडी तालाब एवं निम्बोला तालाब के पास प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित किये गए हैं। वर्ष 2031 तक 49,000 अनुमानित जनसंख्या हेतु विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समुचित उपाय व व्यवस्था विद्युत वितरण निगम को करनी होगी।

5.6.5 (द) श्मशान एवं कब्रिस्तान

वर्तमान में नगर में स्थित श्मशानों और कब्रिस्तान की भूमि को यथावत रखा गया है, परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान नगर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं, उनमें चार दीवारी के साथ-साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानों और कब्रिस्तानों को माँग के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में भूमि की उपलब्धता के अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण

किसी भी नगर की परिसंचरण व्यवस्था वहाँ के भावी भू-उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग होती है। परिसंचरण हेतु प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात के आवागमन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय जनता एवं पर्यटक आदि के लिए आवागमन एवं उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। इस नगर की विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार, यहाँ पर होने वाले यातायात संचरण के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं, ताकि कुचेरा नगर अपने पश्य क्षेत्र के लिये एक सेवा केन्द्र की भूमिका अदा करता रहेगा। नगर में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की निकट भविष्य में प्रबल संभावनाएं हैं, अतः अपने पश्य क्षेत्र से वस्तुओं एवं यात्रियों के परिवहन एवं आवागमन हेतु यहाँ के लिए एक कुशल यातायात व्यवस्था होना आवश्यक है।

5.7.1 प्रस्तावित यातायात संरचना

कुचेरा नगर में वर्तमान क्षेत्रीय यातायात का भार मुख्य रूप से अन्दर की विद्यमान सड़कों पर रहता है। नगर के अन्दर सड़कें संकरी व घुमावदार हैं। नगर की यातायात व्यवस्था को भू-उपयोग योजना में एक दूसरे की पूरक के रूप में तैयार किया गया है, ताकि यह यात्रियों के सामान तथा अन्य सेवाओं के आवागमन के लिए प्रभावी प्रणाली के रूप में सिद्ध हो सके। कुचेरा से राष्ट्रीय राजमार्ग-89, राज्य राजमार्ग-63 एवं प्रमुख राजमार्ग-37 B गुजरते हैं। अतः इन राज मार्गों को ध्यान में रखते हुए नगर का विस्तार लगभग सभी दिशाओं में समान रूप से प्रस्तावित किया गया है।

5.7.1(अ) सड़कों का मार्गाधिकार

राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग एवं बाईपास/बाह्य मार्ग 60 मीटर, प्रमुख सड़कें 30 मीटर, मुख्य सड़कें 18 मीटर एवं अन्य सड़कें 18 मीटर से कम प्रस्तावित

की गई हैं। मुख्य सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेंगी एवं अधिकतम वाहन इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगी। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेंगी तथा कार्यस्थलों को पहुँच प्रदान करेंगी। ये सभी सड़कें यातायात प्रणाली का मुख्य भाग हैं। विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई तालिका 17 में दर्शायी गई है। नागौर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग, शहर के चारों ओर प्रस्तावित बाह्य भाग एवं कुचेरा से खजवाना रोड राज्य राजमार्ग की चौड़ाई 60 मीटर रखी गई है। नगर के पूर्व दिशा में लूणसरा को जाने वाला प्रमुख मार्ग 30 मीटर प्रस्तावित किया गया है। अन्य मुख्य सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर रखी गई है। पुराने बसे हुए गाँवों के क्षेत्र में स्थित पुरानी सड़कों की चौड़ाई यथावत रखी गई है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2031 हेतु विभिन्न सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार को तालिका-18 में दर्शाया गया है:-

तालिका -17:

विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित मानक चौड़ाई-कुचेरा-2031

क्रमांक	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / बाह्य मार्ग	60
2.	प्रमुख सड़कें	30
3.	मुख्य सड़कें	18
4.	अन्य सड़कें	18 से कम

तालिका 18:

प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, कुचेरा-2031

क्रमांक	सड़क की श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	नागौर से अजमेर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-89 एवं बाह्य मार्ग	60
2.	कुचेरा से खजवाना राज्य राजमार्ग	60
3.	कुचेरा से लूणसरा प्रमुख राजमार्ग	30
4.	पश्चिम में राज्य राजमार्ग से राष्ट्रीय राजमार्ग को जाने वाली सड़क	30
5.	मुख्य सड़कें	18
6.	अन्य सड़के (पूर्व विकसित क्षेत्र)	18 मी. से कम

5.7.1(ब) सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहाँ तक सम्भव हो, मानदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए। उन स्थानों पर जहाँ सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहाँ अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहाँ सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मानदण्ड अपनाए जा सकेंगे। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु व्यावसायिक स्थलों के आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर सम्भावित चौड़ाई तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है, ताकि यातायात सुगम हो सके।

5.7.1 (स) पार्किंग स्थलों का विकास

कुचेरा में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों के पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जाए। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर एवं योजना क्षेत्रों में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

5.7.1(द) चौराहों का विकास एवं सौंदर्यीकरण

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त चौड़ाई तथा चौराहों की गलत परिकल्पना आदि मुख्य कारण हैं। अतः चौराहों के सुधार का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यातायात तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्वपूर्ण चौराहों की तकनीकी जाँच कर उन्हें परिष्कृत रूप में पुनः डिजाइन करने का प्रस्ताव है।

5.7.2 बस अड्डा तथा यातायात नगर

5.7.2(अ) बस अड्डा

वर्तमान में कुचेरा में कोई बस अड्डा नहीं है तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुचेरा में 1 बस अड्डा प्रस्तावित किया गया है। जोकि नागौर रोड पर बीएसएनएल ऑफिस के साथ लगती 1 हैक्टेयर भूमि में प्रस्तावित किया गया है।

5.7.2(ब) यातायात नगर

वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। भारी वाहनों का नगर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो, इसलिए रिंग रोड पर औद्योगिक क्षेत्र के साथ 2.73 हैक्टेयर भूमि पर

एक ट्रक टर्मिनल/ट्रांसपोर्ट नगर प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 टैक्सी एवं थ्री व्हीलर स्टैण्ड क्रमशः बस स्टैण्ड के साथ नागौर रोड पर औद्योगिक क्षेत्र के साथ खजवाना रोड पर एवं रिंग रोड एवं अजमेर रोड के जंक्शन पर शहर के दक्षिण में प्रस्तावित किये गये हैं।

कुचेरा में कोई रेल लाईन नहीं है। यहाँ का निकटवर्ती रेलवे स्टेशन मारवाड़-मूण्डवा 20 कि. मी. की दूरी पर है। कुचेरा एक छोटा नगर है तथा इसके निकट रेल सुविधा उपलब्ध होने के कारण रेलवे स्टेशन का यहाँ कोई प्रस्ताव नहीं है।

5.8 जलाशय, वन भूमि एवं अंगोर भूमि

कुचेरा नगर में वर्तमान में 4 तालाब हैं। नगर के दक्षिणी-पूर्वी भाग में भरमंडी तालाब, दक्षिणी-पश्चिमी भाग में कोटेलाव तालाब, रामसर तालाब, उत्तर दिशा में निम्बोला तालाब एवं दक्षिण दिशा में संसारा नाडा तालाब स्थित है। निम्बोला तालाब को मुख्य रूप से पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। जिनका क्षेत्रफल 23.5 हैक्टेयर है। इस क्षेत्र को मास्टर प्लान में जलमग्न क्षेत्र की गणना में दर्शाया गया है शेष इनके चारों तरफ की रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि इनका जलग्रहण क्षेत्र स्वच्छ रहे तथा भविष्य में इन तालाबों में बरसात का पानी ईकट्टा करके नगर की जलापूर्ति की कमी को पूरा किया जा सके। जलाशयों के आस-पास की भूमि का भू-उपयोग माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों के अधीन प्रस्तावित है।

मास्टर प्लान को आपत्ति/सुझावों के संदर्भ में अंतिम रूप देने के दौरान राजस्व रिकार्ड से जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि एक विशिष्ट प्रकार की भूमि जिसको राजस्व रिकार्ड में अंगोर भूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका आशय है कि यह भूमि तालाब पेटे की है। अतः अंगोर भूमि को राजस्व रिकार्ड के अनुसार यथासंभव मास्टर प्लान मानचित्रों में अंकित कर अंगोर भूमि हेतु ही संरक्षित रखा गया है। यदि सहवन से अंगोर भूमि का कोई भी भाग नहीं दर्शाया गया है तो वह भाग केवल अंगोर भूमि हेतु ही संरक्षित रखा जायेगा तथा उक्त भाग पर कोई भू-उपयोग प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।

नगर के दक्षिण-पूर्वी भाग में परिधि नियंत्रण पट्टी में लगभग 462 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम से अंकित है। जिसे मास्टर प्लान में यथावत रखा गया है उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि नगर का पर्यावरण स्वच्छ बना रहे।

5.9 परिधि नियंत्रण पट्टी

नगर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित क्षेत्र को परिधि नियंत्रण पट्टी के रूप में रखा गया है। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही

होगा। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में सुनियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाई-वे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाऊस, मौटेल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मील, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग, बजरी, उत्खनन गतिविधियां आदि अनुज्ञेय होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त परिधि नियंत्रण क्षेत्र में वृहद् परियोजनाएं जो कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर की अनुमति के पश्चात् नगर के चहुँमुखी विकास एवं उपलब्ध होने वाले रोजगार के मद्देनजर स्वीकृत/स्थापित की जाती है, के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की अवांछित शहरी विकास की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कृषि सम्बन्धित कार्यों की ही प्रधानता होगी।

5.10 ग्रामीण आबादी क्षेत्र

परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियोजित रूप से हो, इसके प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित गाँवों का विकास एवं विस्तार नियमित ढंग से ही किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है कि यदि समुचित प्रतिबन्धों का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो जाएगी जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियां उत्पन्न होंगी वरन् यह प्रवृत्ति नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव कर मास्टर प्लान को अर्थहीन बना देगी। अतः आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गाँवों का नियोजित ढंग से विस्तार किये जाने हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनाई जावेंगी, ताकि इन गांवों का विकास भी सुनियोजित ढंग से हो सके।

6.

योजना का क्रियान्वयन

कुचेरा नगर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में नगर में रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को क्रियान्वित करने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरूप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जाएं। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यावहारिक थीं बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये। योजना का क्रियान्वयन इस प्रक्रिया का भाग है, जो योजना को कार्यक्रम में प्रतिस्थापित करता है। यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यों और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती है, जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित सम्भावित परिणामों को निश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल क्रियान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि आवास और कार्य करने के स्थल के रूप में कुचेरा को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गम्भीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधार

वर्तमान स्थानीय निकाय, कुचेरा का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया नगर पालिका अधिनियम स्थानीय निकाय को समुचित अधिकार प्रदान करता है, जिससे नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके। अतः मास्टर प्लान को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु उक्त अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों का समुचित उपयोग किया जाकर ही नगर में सुनियोजित विकास की परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है।

6.2 प्रस्तावित आधार

मास्टर प्लान प्रस्तावों को क्रियान्वित करने का दायित्व नगरपालिका कुचेरा का रहेगा। नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी। इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि कुचेरा के

नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगे। इस सार्वजनिक अधिसूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका, कुचेरा में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका, कुचेरा से निर्धारित राशि देकर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका कुचेरा मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएं तैयार करेगी। जलापूर्ति व मल-जल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा नगर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेंगे। नगरपालिका कुचेरा मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी। किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों की स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह विकास का समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ व सशक्त किया जाए और समय-समय पर आवश्यकतानुसार समुचित अधिकार दिये जाए। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो, इस दृष्टि से समय-समय पर आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक दिशा निर्देश जारी करते रहना होगा।

6.3 जन सहयोग एवं जन सहभागिता

नगर का विकास अंततः लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता से ही नगर का नियोजित विकास एवं स्वस्थ वातावरण संभव है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू-उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति

कुचेरा के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई योजना-2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृति नगर नियोजन विभाग या नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी की गई है तो उसे समायोजित माना जावेगा। यदि स्वीकृति नगर नियोजन विभाग की सहमति से जारी नहीं की गई है तो ऐसे प्रकरण में नगर नियोजन विभाग के परीक्षणों उपरान्त नगर नियोजन विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त समायोजित मानी जावेगी।

मास्टर प्लान क्षेत्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का यथासंभव प्रयास किया गया है, यथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मान्य होगी। इन नदी नाले, जलाशय, भराव क्षेत्र इत्यादि में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या नहीं। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाए, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 योजना का क्रियान्वयन

कुचेरा नगर के मास्टर प्लान में नगर के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत् समय की आवश्यकता के मद्देनजर स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी व उसकी क्रियान्विति विभिन्न प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत नियोजित विकास हेतु करवायेगी। इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं जनोपयोगी सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

6.6 उपसंहार

मास्टर प्लान भावी विकास की एक तस्वीर है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाए। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित है। कुचेरा का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और कुचेरा को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर की इस योजना को तैयार किया गया है।

कुचेरा का नगरीय क्षेत्र वर्तमान में नगर पालिका सीमा से काफी बाहर तक प्रस्तावित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2031 तक प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र भी नगर पालिका सीमा से बाहर प्रस्तावित है अतः मास्टर प्लान के उचित ढंग से क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका सीमा को नगर की प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र सीमा तक बढ़ाया जाना उचित होगा।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959
अध्याय द्वितीय
मास्टर प्लान

- 1- राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति:
- (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
 - (2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।
- 2- मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :
- (क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और
 - (ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाएं और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।
- 3- अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :
- (1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे, प्रकाशित करेगा।
 - (2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अम्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

4- मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

5- मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बताते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बताते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जाएगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण
**THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL)
RULES, 1962**

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959) the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement:-

- (1) These may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".
- (2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

- (1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).
- (2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,
- (3) "Section" means a Section of the Act,
- (4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

- ¹["(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area invitation suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan]².

- (2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.
- (3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-
- a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.
 - b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.
 - d. Written analysis and written statement to support the proposals.
 - e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

- ¹[(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same ²[if constituted] to the State Government for approval.
- (2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day.”]

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(123)नविवि/3/2010

जयपुर दिनांक : 20 जूलाई 2010

—:अधिसूचना:—

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को कुचेरा (जिला-नागौर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :-

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र. सं.	ENGLISH	हिन्दी
1.	KUCHERA	कुचेरा
2.	FIROJPURA CHARNA	फिरोजपुरा चारणा
3.	KHERA NARNOLIYA	खेडा नारनोलिया
4.	ROOPATHAL	रूपाथल

राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(पुरुषोत्तम बियाणी)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प.10(123)नविआ/3/2010

जयपुर, दिनांक : 01 अक्टूबर, 2012

—:अधिसूचना:—

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.07.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित "कुचेरा, (जिला-नागौर) के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, कुचेरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/—

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

शासन उप सचिव-प्रथम